

प्रेषक,

डा० राजशेखर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अर्द्ध कुम्भ मेला 2019 से आच्छादित जनपद इलाहाबाद में जी०टी० मार्ग पर स्थित बेगम बाजार (किमी० 186.800) से चौफटका (किमी० 194.00) तक (लम्बाई 8.20 किमी०) मार्ग का चौड़ीकरण, ड्रेन एवं इन्टरलाकिंग (विद्युत कार्य सहित) कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

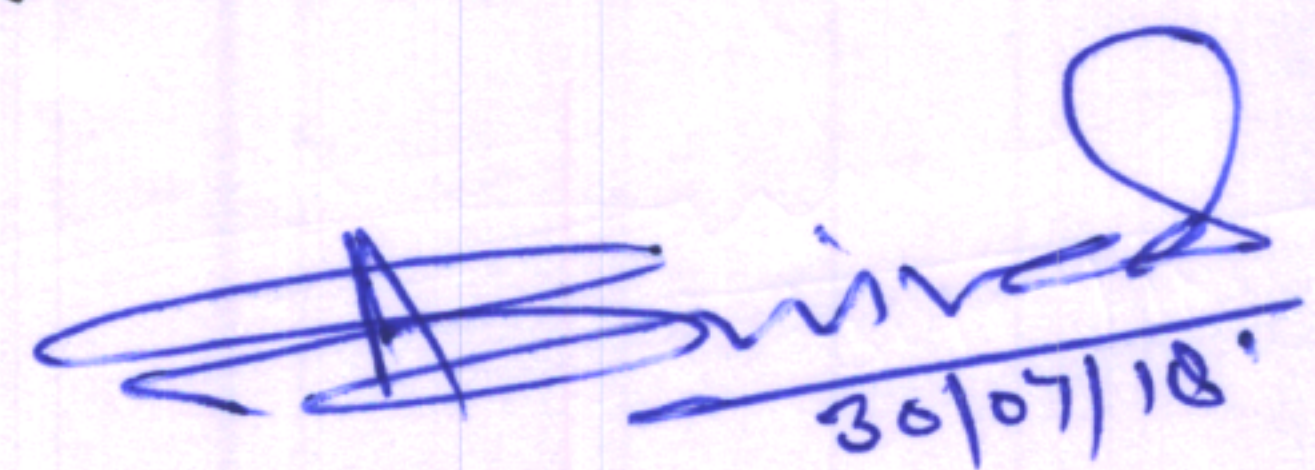
उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-2262नि/118-01नि/2017, दिनांक 10-01-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्द्ध कुम्भ मेला 2019 से आच्छादित जनपद इलाहाबाद में जी०टी० मार्ग पर स्थित बेगम बाजार (किमी० 186.800) से चौफटका (किमी० 194.00) तक मार्ग (लम्बाई 8.20 किमी०) का चौड़ीकरण, ड्रेन एवं इन्टरलाकिंग (विद्युत कार्य सहित) कार्य की आंकलित लागत रु० 2494.71 लाख (रूपये चौबीस करोड़ चौरनवें लाख इक्कहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष रु० 250.00 लाख (रूपया दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नवत विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	आंकलित लागत	अवमुक्त धनराशि		
			अनु०-58 का अंश	अनु०-83 का अंश	योग
1	जनपद इलाहाबाद में जी०टी० मार्ग पर स्थित बेगम बाजार (किमी० 186.800) से चौफटका (किमी० 194.00) तक मार्ग (लम्बाई 8.20 किमी०) का चौड़ीकरण, ड्रेन एवं इन्टरलाकिंग (विद्युत कार्य सहित)	2494.71	196.97	53.03	250.00

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

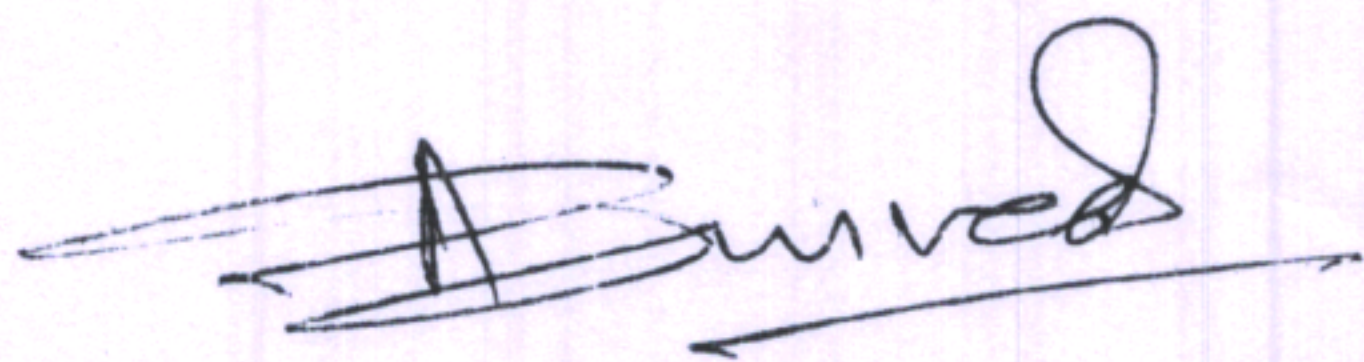
(ए० के० द्विवेदी)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो० नि० वि०

इलाहाबाद

- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंग प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में न रखी जाय।
- (6) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा ना ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।
- (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या- ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11-11-2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इण्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्षक "1054 सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) मूल्यहास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।
- (10) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- (11) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में विद्युत संबंधी कार्य कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः इन कार्य मर्दों का संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत आगणन गठित किया जाय। इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।
- (13) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। कार्य की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
- (14) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।



(ए0 के0 द्विवेदी)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो० नि० वि०
इलाहाबाद

(15) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1328-प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-बृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं०-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-बृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

- 2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 के प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-907/दस-18, दिनांक 21 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा० राजशेखर)
विशेष सचिव।

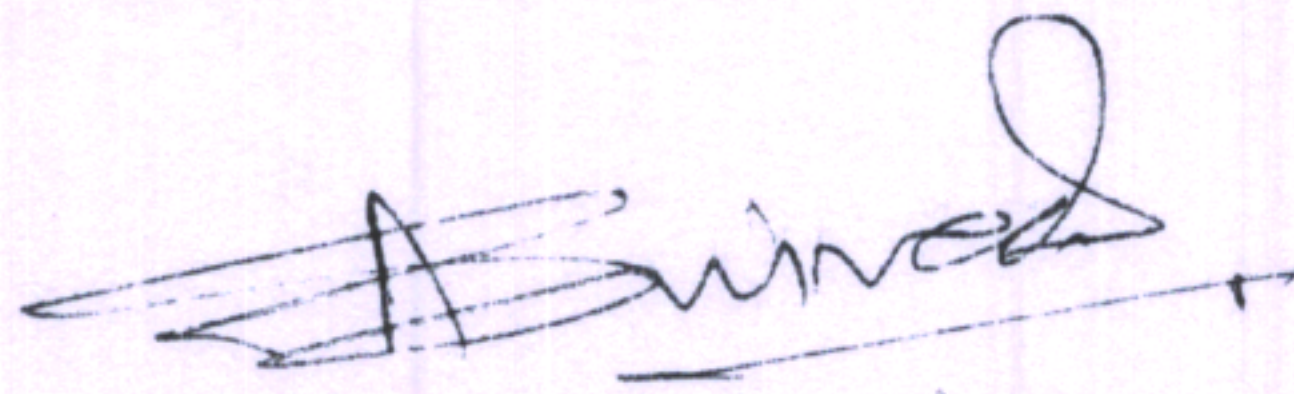
संख्या-67/2018/01(1)/23-11-2018-1/2(86)/18-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम (निर्माण) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (इलाहाबाद क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8/वित्त आय-व्ययक अनु०-1, उ०प्र० शासन।
- 6- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ०प्र० शासन।
- 9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र, लखनऊ।
- 11- गार्ड फाइल।

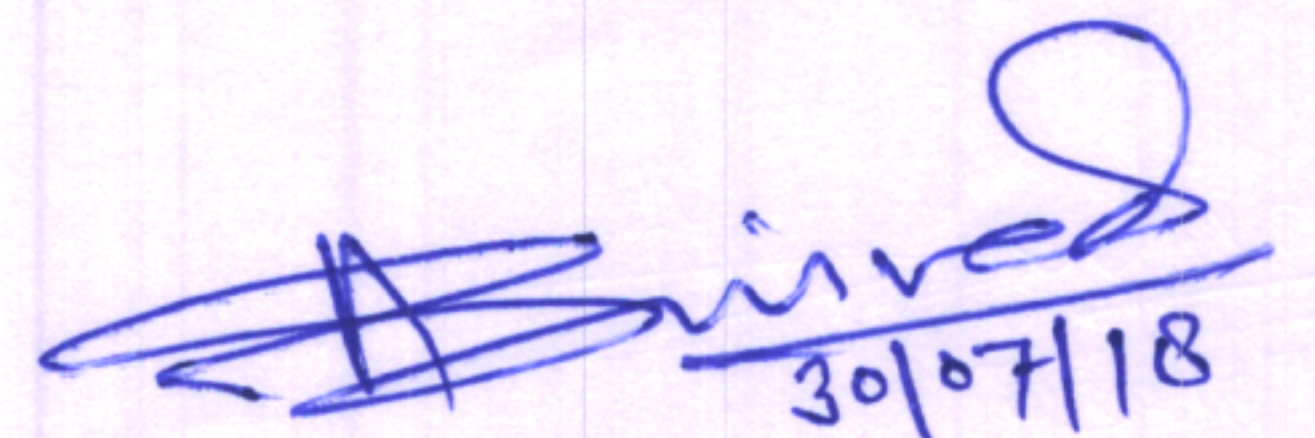
आज्ञा से,

(अभय कुमार)
उप सचिव।



निर्माण विभाग
महानगर-1 लखनऊ
इलाहाबाद

शासनादेश आनर्वाइन ज्ञापन प्रति



(ए० के० द्विवेदी)

अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो० नि० वि०
इलाहाबाद